

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04092021-229414
SG-DL-E-04092021-229414

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2021/भाद्र 12, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 158
No. 251]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2021/BHADRA 12, 1943	[N. C. T. D. No. 158

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग

(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

फा.सं. 9/15/एमआरटीएस/एल एंड बी/एलए/2020/2270.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2740(अ) एवं दिनांक 21/7/2015 की अधिसूचना का.आ. 2004(अ) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव, आकलन एवं स्वीकृति) नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 13/6/2017 की अधिसूचना संख्या फा. 8/2/9/2015/एल एंड बी/एलए/2373 द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई के रूप में चिह्नित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 को निर्दिष्ट करते हैं, जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुलबंगश पर जनकपुरी पश्चिम से आर.के. आश्रम कॉरिडोर तक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन परियोजना के सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखता है।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन का अध्ययन इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजय जैन, उप सचिव (भूमि एवं भवन)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT**(Land Acquisition Branch)****NOTIFICATION**

Delhi, the 3rd September, 2021

F. No. 9(15)/MRTS/L&B/LA/2020/2270.—In the exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact, Assessment and Consent) Rules, 2014, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 2740(E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004(E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to assign the Indian Institute of Public Administration, Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi 110002 which was identified as Social Impact Assessment Unit vide Notification No. F. 8/2/9/2015/L&B/LA/2373 dated 13/06/2017 to carry out Social Impact Assessment Study and to prepare Social Impact Assessment report for acquisition of land which the Delhi Metro Rail Corporation intends to acquire land for public purpose of Delhi Metro Rail Corporation project from Janakpuri West to R.K. Ashram corridor at Rahat Ganj/Aram Ganj, Roshnara Road, Pul Bangash.

The Indian Institute of Public Administration, Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi 110002 shall carry out the Social Impact Assessment study as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 within a period of six months from the date of issue of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJAY JAIN, Dy. Secy. (L&B)